MBTP/DY.No-250

[TO BE PUBLSIHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
[CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES]

(INCOME – TAX)

Notification

New Delhi, the 14th January, 2016

S.O. (E).- In exercise of the powers conferred by section 11 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (1st Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force from the 1st day of April, 2016.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 17, the following rule shall be substituted, namely:-

"**17. Exercise of option etc under section 11.** (1) The option to be exercised in accordance with the provisions of the *Explanation* to sub-section (1) of section 11 in respect of income of any previous year relevant to the assessment year beginning on or after the 1st day of April, 2016 shall be in Form No. 9A and shall be furnished before the expiry of the time allowed under sub-section (1) of section 139 for furnishing the return of income of the relevant assessment year.

(2) The statement to be furnished to the Assessing Officer or the prescribed authority under sub-section (2) of section 11 or under the said provision as applicable under clause (*21*) of section 10 shall be in Form No. 10 and shall be furnished before the expiry of the time allowed under sub-section (1) of section 139, for furnishing the return of income.

(3) The option in Form No. 9A referred to in sub-rule (1) and the statement in Form No.10 referred to in sub-rule (2) shall be furnished electronically either under digital signature or electronic verification code.

(4) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall-

(i) specify the procedure for filing of Forms referred to in sub-rule (3);

(ii) specify the data structure, standards and manner of generation of electronic verification code, referred to in sub-rule(3), for purpose of verification of the person furnishing the said Forms; and

(ii) be responsible for formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to Forms so furnished.".

3. In the said rules, in Appendix II,-

(a) after Form No.9, the following Form shall be inserted, namely:-

"FORM NO.9A

[*See* rule 17(1)]

Application for exercise of option under clause (2) of the *Explanation* to sub-section (1) of section 11 of the Income - tax Act, 1961.

To

The Assessing Officer,

I, ,.............. on behalf of *[name of the trust/institution/association]*....................... *Permanent Account Number (PAN)*.................................... do hereby wish to exercise the option referred to in clause (2) of the Explanation to sub-section (1) of section 11 of the Income-tax Act, 1961 for an amount of Rs......................(detailed in A below) to be deemed to be the income applied for charitable or religious purposes during the previous year 20..- 20.. for the reasons mentioned in B below.

A. The details of income in this regard are:

(i) Amount of income derived from property held under trust / held under trust in part, during the above mentioned previous year: Rs..................;

(ii) Amount of income [out of (i)] actually applied to charitable or religious purposes in India: Rs ....;

(iii) Amount of income referred to in (ii) that falls short of 85% of the income referred to in (i) : Rs................;

(iv) The amount of income in respect of which the option is being exercised: Rs................

B. The reasons for the shortfall in application of income are as under:-

(a)Whether the income was not received during the previous year? Yes/No.

If Yes, the amount of income that was not received:..............;

(b) any other reason ? Yes/No

If yes, then specify the reason and the corresponding amount of income:

Sr.No	Reason for shortfall	Amount of Income

Date:

Signature...............................
Designation.............................
Address.................................

Note:
1. This option Form should be signed by a trustee/principal officer.
2. Delete the inappropriate words.";

(b) for Form No.10, the following Form shall be substituted, namely:-

"FORM NO.10

[*See* rule 17(2)]

Statement to be furnished to the Assessing Officer/Prescribed Authority under sub-section (2) of section 11 of the Incomer-tax Act, 1961

To
The Assessing Officer/ Prescribed Authority,
....
....

I, ,.............. on behalf of............................... *[name of the trust/institution/association] Permanent Account Number* .... hereby bring to your notice that it has been decided by a resolution passed by the trustees/governing body, by whatever name called, on..................... that, out of the income of the trust/institution/association for the previous year, relevant to the assessment year 20....-20...., an amount of Rs........ which is ....per cent of the income of the trust/institution/association for the said previous year, shall be accumulated or set apart for carrying out the purposes of the trust/association/institution. The details of the amount, the purpose and period of the proposed accumulation or setting apart is as under:-.

Sr.No.	Purpose for which amount is being accumulated or set apart	Amount	Period of accumulation/setting apart ending on
1			
2			
3			

2. The amount so accumulated or set apart has been invested or deposited in any one or more of the forms or modes specified in sub-section(5) of section 11 of the Income-tax Act, 1961.

3. It is further brought to your notice that the said .... [name of the trust/institution/association] had in respect of an assessment year preceding the relevant assessment year given the statement regarding accumulation or setting apart of an amount as required under sub-section (2) of section 11 of the Income-tax Act, 1961 as detailed below:

Year of accumulation	*Date of filing Form 10*	*Amount accumulated*	*Period for which accumulated/ set apart*	*Amount applied up to the end of the previous year*	*Amount remaining for application*	*Amount deemed to be income within meaning of sub-section (3) of section 11*

4. It is also brought to your notice that , out of incomes detailed in 3 above, due to the order/ injunction of the court the income as detailed below could not be applied for the purpose for which it was accumulated or set apart:-

S.No.	*Amount of income*	*Previous year in which accumulated or set apart*	*Period during which it could not be applied due to court order*	*Details of court order*

Date: ....

Signature..........................
Designation........................
Address............................

Notes:
1. This statement should be signed by a trustee/principal officer.
2. Delete the inappropriate words."

Notification No. 3 /2016 [F. No. 142/16/2015-TPL]

(R LAKSHMI NARAYANAN)
Under Secretary (Tax Policy and Legislation)

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number S.O. 969(E), dated the, 26th March, 1962 and last amended *vide* notification number S.O- 3545 (E), dated the 30th December, 2015.

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

आय-कर

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 14 जनवरी, 2016

का.आ. ....(अ).- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (प्रथम संशोधन) नियम, 2016 है ।

(2) ये नियम 1 अप्रैल, 2016 से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 17 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"**17. धारा 11 के अधीन विकल्प इत्यादि का दिया जाना-** (1) 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ती वर्ष की आय के संबंध में धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के उपबंधों के अनुसार दिए जाने वाले विकल्प प्ररूप सं. 9क में होगा और सुसंगत निर्धारण वर्ष की आय की विवरणी देने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात समय की समाप्ति से पूर्व दिया जाएगा ।

(2) धारा 11 की उपधारा (2) या धारा 10 के खंड 21 के अधीन यथालागू उक्त उपबंध के अधीन निर्धारण अधिकारी या विहित प्राधिकारी को दिए जाने वाला विवरण प्ररूप सं. 10 में होगा और आय की विवरणी देने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात समय की समाप्ति से पूर्व दिया जाएगा ।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप सं. 9क में विकल्प और उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्ररूप सं. 10 में विवरण डिजीटल हस्ताक्षर या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के अधीन इलैक्ट्रानिक रूप में दिया जाएगा ।

(4) यथास्थिति, प्रधान महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) या महानिदेशक आय-कर (प्रणाली)–

(i) उपनियम (3) में निर्दिष्ट प्ररूपों को फाइल करने के लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा ;

(ii) उक्त प्ररूपों को देने वाले व्यक्ति के सत्यापन के प्रयोजन के लिए, उपनियम (3) में निर्दिष्ट डेटा स्ट्रक्चर, इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड का सृजन करने की मानदंड और रीति विनिर्दिष्ट करेगा ; और

(iii) इस प्रकार दिए गए प्ररूपों के संबंध में समुचित सुरक्षा विरचित करने और कार्यान्वित करने, नीतियों के पूरालेखीए और पुन: प्राप्ति के लिए उत्तरदायी होगा।"।

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट 2 में,--

(क) प्ररूप सं. 9 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप सं. 9क

[नियम 17(1) देखें]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (2) के अधीन दिए जाने वाले विकल्प हेतु आवेदन ।

सेवा में,

निर्धारण अधिकारी,

मैं, ... (न्यास/संस्था/संगम का नाम) की ओर से .... स्थायी लेखा संख्या (पैन) .... आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (2) में निर्दिष्ट .... रुपए की रकम, (ब्यौरे नीचे अ में दिए गए हैं) पूर्ववर्ती वर्ष 20...20... के दौरान पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए अनुप्रयुक्त समझी जाने वाली आय, नीचे आ में वर्णित कारणों के लिए विकल्प देना चाहता हूं ।

अ. इस संबंध में आय के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

(i) ऊपर वर्णित पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान न्यास के अधीन धारित/न्यास के अधीन भागत: धारित संपत्ति से प्राप्त आय की रकम : रुपए ....

(ii) (i) [आय की रकम में से], भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए वास्तव में अनुप्रयुक्त : रुपए ....

(iii) (ii) में निर्दिष्ट आय की रकम, जो (i) में निर्दिष्ट आय से 85% कम पड़ती हो : रुपए ....

(iv) आय की रकम, जिसके संबंध में विकल्प दिया जा रहा है : रुपए ....

आ. आय के अनुप्रयोग में कमी के कारण निम्नलिखित हैं :--

(क) यदि आय पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्राप्त नहीं की गई थी ? हां/नहीं ।

यदि हां, तो आय की रकम, जो प्राप्त नहीं की गई थी : .... ;

(ख) कोई अन्य कारण ? हां/नहीं ।

यदि हां, तो कारण और आय की तत्स्थानी रकम विनिर्दिष्ट करें :

क्रम सं.	कमी के कारण	आय की रकम

तारीख :

हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

पता ....

टिप्पण :

1. ये विकल्प प्ररूप किसी न्यासी/प्रधान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए ।
2. अनुचित शब्द हटाएं ।";

(ख) प्ररूप सं. 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

प्ररूप सं. 10

[नियम 17(2) देखें]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन निर्धारण अधिकारी/विहित प्राधिकारी को दिया जाने वाले वाला विवरण ।

सेवा में,

निर्धारण अधिकारी/विहित प्राधिकारी,

....

....

मैं, ... (न्यास/संस्था/संगम का नाम) की ओर से .... स्थायी लेखा संख्या (पैन) .... एततद्वारा आपके ध्यान में लाता हूं कि न्यासियों/शासी निकाय, चाहे जिस भी नाम से जाना जाए, द्वारा तारीख .... को पारित संकल्प द्वारा विनिश्चित किया गया है कि निर्धारण वर्ष 20...20... से सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष के लिए न्यास/संस्था/संगम की आय में से, ... रुपए की एक रकम, जो उक्त पूर्ववर्ती वर्ष के लिए न्यास/संस्था/संगम की आय का .... प्रतिशत है, न्यास/संस्था/संगम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए संचित या आबंटित की जाएगी । रकम के ब्यौरे, प्रस्तावित संचय या आबंटन का प्रयोजन और अवधि निम्नलिखित है :--

क्रम सं.	प्रयोजन, जिसके लिए रकम संचित या आबंटित की जानी है	रकम	संचय/आबंटन की अवधि, जब समाप्त हो रही हो
1			
2			
3			

2. इस प्रकार संचित या आबंटित रकम आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक रूपों या रीतियों में विनिधान या निक्षिप्त की गई है ।

3. यह और आपके ध्यान में लाया जाता है कि उक्त .... (न्यास/संस्था/संगम का नाम) ने सुसंगत निर्धारण वर्ष से पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष के संबंध में आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित किसी रकम के संचय या आबंटन से संबंधित विवरण निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार दिया है :

संचय का वर्ष	प्ररूप 10 फाइल करने की तारीख	संचित रकम	अवधि, जिसके लिए संचित/ आबंटित की गई है	पूर्ववर्ती वर्ष के अंत तक अनुप्रयुक्त रकम	अनुप्रयोग हेतु शेष रकम	धारा 11 की उपधारा (3) के अर्थांतर्गत समझी गई आय की रकम

4. यह भी आपके ध्यान में लाया जाता है कि ऊपर 3 में वर्णित आय में से, न्यायालय के आदेश/व्यादेश के कारण नीचे यथा उपवर्णित आय उस प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त नहीं की जा सकी, जिसके लिए उसका संचय या आबंटन किया गया था :--

क्रम सं.	आय की रकम	पूर्ववर्ती वर्ष, जिसमें संचित या आबंटित की गई थी	अवधि, जिसके दौरान न्यायालय आदेश के कारण उसका अनुप्रयोग नहीं किया जा सका	न्यायालय आदेश के ब्यौरे

तारीख :

हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

पता ....

टिप्पण :

1. ये विवरण किसी न्यासी/प्रधान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए ।
2. अनुचित शब्द हटाएं ।"।

(अधिसूचना सं. 3/2016/फा.सं. 142/16/2015-टीपीएल)

(आर. लक्ष्मी नारायणन)

अवर सचिव (टीपीएल)

टिप्पण – मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. का.आ. 3545(अ), तारीख 30/12/2015 द्वारा संशोधित किए गए ।